भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3570

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा पर अपनी जेब से किया जाने वाला व्यय

3570. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पर प्रति परिवार अपनी जेब से किए जाने वाले आउट -ऑफ-पॉकेट (ओओपीई) व्यय का ब्यौरा क्या है;
(ख) अन्य देशों की तुलना में विश्व स्तर पर अपनी जेब से किए जाने वाले ओओपीई व्यय के संदर्भ में भारत की रैंकिंग का ब्यौरा क्या है;
(ग) घरेलू स्वास्थ्य सेवा व्यय के शीर्ष तीन घटकों का ब्यौरा क्या है;
(घ) वर्तमान में देश में सरकारी वित्तपोषित बीमा योजनाओं के अंतर्गत कितने प्रतिशत आबादी कवर होती है; और
(ङ) क्या इन योजनाओं के कारण ओओपीई में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड.): नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) अनुमान 2021-22 के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति जेबी व्यय (ओओपीई) 2600 रुपये है। 2021 के लिए क्रय-शक्ति समता (इंटरनेशनल डॉलर में) प्रति व्यक्ति ओओपीई में 189 देशों की सूची में भारत 69वें स्थान पर है।

एनएसएस घरेलू सर्वेक्षण 2017-18 (75वें चरण) के अनुसार, घरेलू स्वास्थ्य व्यय के प्रमुख घटकों में दवाएं, निदान परीक्षण और डॉक्टर की फीस शामिल हैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) का उद्देश्य भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर निचले 40% हिस्से के 12.37 करोड़ परिवारों में शामिल लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। एबी पीएम-जेएवाई को लागू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने खर्च पर लाभार्थी आधार का और भी विस्तार किया है। हाल ही में, इस योजना का विस्तार कर 4.5

करोड़ परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिये बिना वय वंदना कार्ड द्वारा एबी पीएम-जेएवाई के तहत कवर किया गया है।

1 मार्च 2025 तक, एबी पीएम-जेएवाई के तहत लगभग 36.75 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया जा चुका है। इसके अलावा, इस योजना के तहत 1.26 लाख करोड़ रुपये से अधिक के 8.99 करोड़ अस्पताल में भर्ती अधिकृत की गई है। एक अनुमान के अनुसार, यदि लाभार्थियों ने पीएम-जेएवाई के तहत उपचार खुले बाजार में लिया होता तो उन्हें पीएम-जेएवाई के तहत अस्पताल में भर्ती होने की लागत से कम से कम 1.5 - 2 गुना अधिक खर्च करना पड़ता। इस प्रकार, लाभार्थियों के लिए अस्पताल में भर्ती होने की लागत से संबंधित महत्वपूर्ण जेबी खर्च में बचत हुई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को क्षमता उन्नयन और जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, जन स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने वाले सभी लोगों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से जन स्वास्थ्य सुविधाकेन्द्रों पर मुफ्त आवश्यक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता अनुमानों के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) में जेबी व्यय (ओओपीई) का हिस्सा 2014-15 में 62.6% से घटकर 2021-22 में 39.4% हो गया है।

*****